भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3924
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वायुयानों का विनिर्माण

3924. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में उड़ान योग्य विमानों की संख्या आवश्यकता से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या यह भी सच है कि घरेलू स्तर पर ऐसे विमानों के विनिर्माण और मरम्मत की व्यवस्था अपर्याप्त है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) एक विमान को उड़नयोग्य माना जाता है, बशर्ते उसका रखरखाव विनिर्माता द्वारा निर्धारित अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार हो। भारत में संचालित विमानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विमान को उड़नयोग्य बनाए रखने के लिए मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) और विनिर्माता से स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध न होने पर एयरलाइन द्वारा विमान को उड़ान से वापस भी लिया जा सकता है। अनुसूचित वायु परिवहन सेवा के तहत कुल 822 विमान पंजीकृत हैं, जिनमें से 105 विमान आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण परिचालन से बाहर (एओजी) हैं।

(ख) और (ग) सरकार, भारत में क्षेत्रीय परिवहन विमान और सार्वजनिक और निजी उद्यमों द्वारा सम्बद्ध उपकरणों सहित विमानों के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने भारत में विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के व्यापक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी)-2016 के अंतर्गत नीतिगत प्रावधानों का एक सेट घोषित किया है। भारत में एमआरओ क्षेत्र के विकास के लिए एनसीएपी-2016 के तहत छूट प्राप्त सीमा शुल्क, सरलीकृत मंजूरी प्रक्रिया, भूमि आवंटन आदि जैसे कई प्रोत्साहन/छूट प्रदान की गईं हैं। सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन प्रदान करने के आश्वासन के साथ 1 सितंबर, 2021 को नए एमआरओ दिशानिर्देशों की घोषणा की। हाल ही में, सरकार ने विमान कलपुर्जों और विमान इंजन पुर्जों के आयात पर करों (आईजीएसटी)

को घटाकर 5% कर दिया है जो पहले 5% से लेकर 28% की दर पर थे। साथ ही, मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है और वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय-सीमा तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है।

******